सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, उदयपुर

(पीठासीन अधिकारी : नरेश बुनकर, आर.ए.एस.)

प्रकरण स. : 01/2016 (निगरानी पंचायत)
RCMS No: 2016/00011

अनवान

1. श्रीमती आभा देवी पत्नि सतीश कुमार जैन, निवासी ऋषभदेव, जिला उदयपुर।
2. श्रीमती प्रियंका पत्नि विशाल जैन, निवासी ऋषभदेव, जिला उदयपुर।
3. श्री राकेश कुमार पिता कान्तिलाल जैन, निवासी ऋषभदेव, जिला उदयपुर।

– प्रार्थीगण/निगरानीकर्ता

बनाम

1. श्री हकरा पिता काला मीणा, निवासी थाणा ऋषभदेव, तह.ऋषभदेव, जिला उदयपुर।
2. श्रीमान सरपंच ग्राम पंचायत ऋषभदेव तहसील ऋषभदेव, जिला उदयपुर।

– विपक्षीगण/रेस्पोडेन्ट्स

उपस्थित

1. श्री रोशनलाल जैन, अधिवक्ता निगरानीकर्ता।
2. श्री मन्नाराम डांगी, अधिवक्ता, विपक्षी संख्या 1

निगरानी अंतर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम,1996
विरूद्ध आदेश ग्राम पंचायत ऋषभदेव, पंचायत समिति ऋषभदेव, दिनांक 31.10.1995

* निर्णय *

दिनांक– 11-04-2019

प्रकरण मे संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि निगरानीकर्ता द्वारा यह निगरानी अंतर्गत धारा 97, राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1996 प्रस्तुत कर निवेदन किया हैं कि प्रार्थीगण ने दिनांक 20.07.2002 को ऋषभदेव में नदी की पुलिया पर एक आबादी भूखण्ड मय मकान कच्चा खपरेल ढूंडा पूर्व से पश्चिम 30 फीट व उत्तर से दक्षिण 45 फीट कुल 1350 वर्गफीट का जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र के विक्रेता वेलाराम पिता थावरा जी मीणा, निवासी ऋषभदेव से क्रय किया, जो प्रार्थीगण के स्वामित्व एवं आधिपत्य में है। प्रार्थीगण ने उक्त कच्चे मकान को गिराकर उस पर मकान निर्माण हेतु नियमानुसार ग्राम पंचायत से दिनांक 05.08.2003 को भवन निर्माण की स्वीकृति प्राप्त की। उसी भूखण्ड का विपक्षी संख्या 1 ने विपक्षी संख्या 2 से एक फर्जी आबादी भूमि का विक्रय विलेख पट्टा दिनांक 31.10.1995 को प्राप्त कर लिया। उक्त पट्टा अनुसूचित जाति व जनजाति कारीगरों/लघु व सीमान्त कृषक की आबादी भूमि में से निःशुल्क जारी किया गया है, जबकि उक्त पट्टे पर तत्कालीन सरपंच के अलावा किसी अन्य के हस्ताक्षर नही है व न ही उस पट्टे पर कोई मिसल नम्बर या किसी सरकारी योजना का हवाला दिया गया है। विपक्षी संख्या 1 को जारी किये गये पट्टे पर क्रम संख्या ए/93/94 अंकित है। प्रार्थीगण द्वारा विपक्षी संख्या 1 को जारी किये गये पट्टे के संबंध में विपक्षी संख्या 2 से जानकारी चाही जाने पर विपक्षी संख्या 2 ने पट्टे की जानकारी देने से मना कर दिया एवं उक्त पट्टा ग्राम पंचायत

ऋषभदेव द्वारा जारी नही किया गया। उक्त फर्जी पट्टे के आधार पर विपक्षीगण प्रार्थीगण को भूमि से बेदखल करना चाहते है। तत्कालीन समय विपक्षी संख्या 1 के संबंध में जारी किये गये पट्टे की कोई सरकारी योजना नही थी। उक्त पट्टा बिना किसी सरकारी आदेश व कोरम के जारी किया गया है। विपक्षी संख्या 1 उक्त भूखण्ड एवं पट्टा प्राप्त करने का पात्र है अथवा नहीं, का भी कोई मापदण्ड नही है। विपक्षी संख्या 1 को जारी किया गया पट्टा न्यायसंगत नहीं होने से निरस्त किये जाने योग्य है। पट्टा देखने मात्र से ही फर्जी प्रतीत होता है। विपक्षी संख्या 1 का ग्राम थाणा ऋषभदेव में कृषि भूमि होकर स्वयं का मकान है। दिनांक 31.10.1995 को तत्कालीन समय में विपक्षी संख्या 1 देवस्थान विभाग ने सिपाही के पद पर कार्यरत था अर्थात विपक्षी संख्या 1 न तो गरीब है एवं न ही भूमिहीन है। पट्टे में वर्णित शर्तो में से एक भी शर्त की पात्रता विपक्षी संख्या 1 नही रखता है। अतः विपक्षी संख्या 1 के पक्ष में जारी किये गये पट्टा दिनांक 31.10.1995 विधि विरूद्ध होने से निरस्त किया जावे।

प्रकरण बाद जांच दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण/रेस्पोडेन्ट्स को नोटिस/सूचना पत्र जारी किये जाकर अपना पक्ष रखने हेतु अवसर दिया गया। विपक्षी संख्या 1 की ओर से श्री मन्नाराम डांगी, अधिवक्ता द्वारा वकालात पत्र पेश कर प्रकरण में जवाब पेश किया कि प्रार्थीगण ने दिनांक 20.07.2002 को उक्त कथित पट्टा पंजीकृत विक्रय पत्र से वेलाराम पिता थावरा मीणा से क्रय करना बताया है। कथित विक्रेता वेलाराम पिता थावरा मीणा का भी वर्णित भूखण्ड एवं मकान पर दिनांक 20.07.2002 को कोई कानून हक व अधिकार नही था। इस प्रकार उक्त विक्रय पत्र अवैध एवं शून्य है। विपक्षी संख्या 1 को विपक्षी संख्या 2 ग्राम पंचायत ऋषभदेव द्वारा दिनांक 31.10.1995 को नियमानुसार निःशुल्क, मौके पर नपती कर पट्टा जारी किया गया है। वर्णित भूखण्ड पर विपक्षी संख्या 1 द्वारा निर्माण की स्वीकृति का शुल्क 11/–रू. पंचायत समिति खेरवाडा में दिनांक 02.02.1996 को जमा कराया गया। आवंटन के बाद विपक्षी का मौके पर निरन्तर कब्जा चला आ रहा है। गत बारिश में वर्णित भूखण्ड में निर्मित विपक्षी संख्या 1 का कच्चा केलुपोश मकान क्षतिग्रस्त हो जाने से मकान के पुनः निर्माण करने की तैयारी करने पर निगरानीकर्ता द्वारा विपक्षी संख्या 1 के आधिपत्य के भूखण्ड पर निर्मित केलुपोश मकान को गिरा दिया गया। इस संबंध में थाने में इत्तला देने पर पुलिस द्वारा कोई कार्यवाही न करने पर विपक्षी संख्या 1 ने दिनांक 24.02.2016 को उक्त घटना का परिवाद अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट खेरवाडा में आरोपीगण के विरूद्ध पेश किया। विपक्षी संख्या 2 ग्राम पंचायत ऋषभदेव द्वारा विपक्षी संख्या 1 को जारी की गयी निर्माण स्वीकृति पूर्ववर्ती होने से दिनांक 05.08.2003 को यदि कोई निर्माण स्वीकृति प्रार्थीगण के पक्ष में जारी की गयी है तो वह अवैध होकर शून्य एवं कानूनन निष्प्रभावी है। प्रार्थीगण का कथित विक्रय विलेख दिनांक 20.07.2002 का है इसके अतिरिक्त विपक्षी संख्या 1 को आवंटित भूखण्ड दिनांक 31.10.1995 का है व वेलाराम को आवंटित पट्टे पर दिनांक 25.03.1996 अंकित है। इस प्रकार पूर्व में आवंटित भूखण्ड को दुबारा निःशुल्क आवंटित कर दिया गया है, जो नियम विरूद्ध है। प्रार्थीगण सवर्ण जाति के व्यक्ति होकर धनाढ्य है, जो पैसे के प्रभाव का दुरूपयोग कर गरीब आदिवासियों के स्वामित्व के भूखण्ड पर कब्जा करने को आमदा है। वेलाराम पिता थावरा मीणा का कथित पट्टा दिनांक

25.03.1996 का अनुसूचित जनजाति का होने से यदि कारणवश पट्टा सही मान भी लिया जाये तो भी आवंटन पट्टे की शर्त संख्या 3 अनुसार आवासीय आवंटित भूमि के हस्तान्तरण का कोई अधिकार आवंटी को नही होगा व यह उनके स्वयं के स्वामित्व में रहेगी। इस प्रकार वेलाराम पिता थावरा मीणा ने कथित भूखण्ड दिनांक 20.07.2002 को पंजीकृत विक्रय विलेख से प्रार्थीगण को विक्रय करना आवंटन आदेश दिनांक 25.03.1996 की शर्त संख्या 3 का उल्लंघन होने से प्रथम दृष्टया अवैध है। विपक्षी संख्या 1 को विपक्षी संख्या 2 ग्राम पंचायत द्वारा दिनांक 31.10. 1995 को जारी पट्टा पूर्ण रूप से कानूनी प्रक्रिया के तहत जारी किया गया है, जिसकी नकले प्राप्त जारी करने का दायित्व विपक्षी संख्या 2 का है एवं जवाबदेही भी विपक्षी संख्या 2 की ही है। उक्त वर्णित भूखण्ड पर प्रार्थीगण का कोई कब्जा नही है, मात्र फर्जी दस्तावेजो के आधार पर उनके द्वारा उक्त भूखण्ड को हडपने का प्रयास किया जा रहा है। विपक्षी संख्या 1 गरीब आदिवासी भूमिहीन किसान है जो देवस्थान विभाग में सिपाही की हैसियत से अरदली मजदूरी की थी, जिसे सेवानिवृत्ति पर पेंशन भी नही मिलती है। प्रार्थीगण को सन् 2002 के पूर्व से जानकारी थी कि वर्णित भूखण्ड विपक्षी संख्या 1 के कब्जे व पट्टे का है, किन्तु फर्जी दस्तावेजो के आधार पर उक्त निगरानी लगभग 14 वर्ष बाद पेश की है जो अवधिपार होने से कानूनन खारिज योग्य है। अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत निगरानी प्रार्थना पत्र भारी कोस्ट के साथ खारिज किया जावे। प्रकरण में विपक्षी संख्या 2 ग्राम पंचायत की ओर से कोई जवाब प्राप्त नही हुआ। प्रकरण से संबंधित मूल पत्रावली ग्राम पंचायत ऋषभदेव से तलब की जाकर प्रकरण में बहस हेतु तिथि नियत की गयी।

बहस हेतु निर्धारित तिथि को उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ता उपस्थित हुए। बहस प्रारम्भ करते हुए निगरानीकर्ता के अधिवक्ता ने अपने निगरानी प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए प्रार्थीगण द्वारा क्रय किये गये आबादी भूमि के भूखण्ड को सही बताया है तथा क्रय करने के पश्चात् ग्राम पंचायत से नियमानुसार निर्माण की स्वीकृति प्राप्त करना, ग्राम पंचायत द्वारा निर्माण स्वीकृति जारी करना, विपक्षी संख्या 1 के पक्ष में जारी पट्टा बिना आराजी का होना जिस पर मात्र सरपंच के हस्ताक्षर होना, विपक्षी संख्या 1 का भूमिहीन न होना, विपक्षी संख्या 1 द्वारा दर्ज कराये गये मुकद्में पर एफ.आर. लगना, एफ.आर. रिपोर्ट में कोर्ट अनुसार विपक्षी का पट्टा आराजी संख्या 1001 ग्राम थाणा का होना, सचिव के हस्ताक्षर न होना, पंचायत समिति में 11/– रूपये नियम विरूद्ध जमा कराना, पंजीकृत विक्रय पत्र को सिविल न्यायालय में चेलेंज न करना, विपक्षी संख्या 1 का अन्यत्र ग्राम थाणा का निवासी होना, विपक्षी संख्या 1 के पट्टे की कोई मिसल ग्राम पंचायत में उपलब्ध न होना, पट्टा फर्जी होना आदि आधार पर विपक्षी संख्या 1 के पक्ष में जारी कथित पट्टे को निरस्त किये जाने की मांग की।

विपक्षी संख्या 1 के अधिवक्ता ने बहस में भाग लेते हुए प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत विक्रय विलेख वेलाराम को जारी कथित पट्टे की शर्त संख्या 3 का उल्लंघन होने से नियम विरूद्ध होना, मौके पर विपक्षी संख्या 1 का कब्जा होना, निगरानीकर्ता द्वारा निगरानी अवधिपार हो 14 वर्ष बाद प्रस्तुत करना, विपक्षी संख्या 2 द्वारा विपक्षी संख्या 1 के पक्ष में जारी पट्टा वेलाराम के

पक्ष में जारी पट्टे से पुराना होना आदि आधारो पर प्रार्थीगण के निगरानी प्रार्थना पत्र को सव्यय खारिज करने की मांग की।

हमने उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ताओ की बहस सुनी एवं पत्रावली मे उपलब्ध निगरानीकर्ता के निगरानी प्रार्थना पत्र, विपक्षी संख्या 1 के जवाब, अधिनस्थ न्यायालय ग्राम पंचायत ऋषभदेव की पत्रावली का अवलोकन किया व वर्णित तथ्यों पर गंभीरता से मनन किया, जिससे यह ज्ञात होता है कि प्रकरण ग्राम पंचायत ऋषभदेव द्वारा विपक्षी संख्या 1 श्री हकरा के पक्ष में जारी किया गये पट्टा दिनांक 31.10.1995 को निरस्त करने से संबंधित है। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि न्यायालय में मामले में दो पट्टे की प्रति पेश हुई है। पहला पट्टा विपक्षी संख्या 1 हकरा पिता काला मीणा के पक्ष में दिनांक 31.10.1995 को जारी किया जाना एवं द्वितीय पट्टा वेलाराम पिता थावरा मीणा के पक्ष में दिनांक 25.03.1996 को जारी किया जाना पाया गया है। उक्त दोनों ही पट्टो का क्षेत्रफल 30 **x** 45 वर्ग फीट है अर्थात् मामले में हकरा पिता काला मीणा के पक्ष में जारी किया गया पट्टा वेलाराम पिता थावरा मीणा के पक्ष में जारी किये गये पट्टे से पहले का है। यह उल्लेखनीय है कि दोनों पट्टों के शर्तो में से शर्त संख्या 3 में स्पष्ट रूप से वर्णित है कि उक्त पट्टो के हस्तान्तरण का अधिकार आवंटी को नही होगा, किन्तु वेलाराम पिता थावरा मीणा द्वारा शर्त संख्या 3 का उल्लंघन करते हुए पट्टे का अवैध से विक्रय निगरानीकर्ता/प्रार्थीगण को कर दिया गया है, जिसका उसे कोई अधिकार प्राप्त नही था। ऐसा विक्रय पत्र शुरू से ही शून्य है एवं ऐसे विक्रय पत्र को आधार बनाकर विपक्षी संख्या 1 के पक्ष मे जारी किये गये पट्टे को निरस्त किया जाना हम उचित नहीं समझते है। ऐसी स्थिति में निगरानीकर्ता द्वारा प्रस्तुत निगरानी स्वतः ही खारिज योग्य पायी जाती है।

अतः निगरानीकर्ता द्वारा प्रस्तुत निगरानी प्रार्थना पत्र अस्वीकार कर खारिज किया जाता है एवं हकरा पिता काला मीणा के पक्ष में जारी पट्टा दिनांक 31.10.1995 को यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज 11.04.2019 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(नरेश बुनकर)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
उदयपुर